न्यायालय, अपर समाहर्ता,रॉची।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या 06 आर–15/05–06

रोजनी अंसारी वगैरह — पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

क्युम अंसारी वगैरह — प्रतिवादी

आदेश

47
15.09.2008

यह पुनरीक्षण दाखिल खारिज अपील 10 आर15/99–2000 एवं 11 आर 15/99–2000 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर रॉची द्वारा दिनांक 19.4.2002 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने दाखिल खारिज वाद संख्या 127 आर 27/98–99 एवं 128 आर II/98–99 में अंचल पदाधिकारी, चान्हो द्वारा दिनांक 22.06. 19999 को पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें पुनरीक्षणकर्ता के नाम निम्नांकित जमीन का नामांतरण स्वीकृत किया गया था।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
टॉगर	26	838	0.17 एकड़
		1405	0.26 ,,
		1527	0.10 ,,
		1534	0.45 ,,
		1535	0.07 ,,
		1554	0.31 ,,
		1630	0.43 ,,
		कुल	1.79 एकड़
	13	988	0.03½ ,,
		1017	0.30 ,,
		1034	0.24 ,,
		1035	0.10 ,,

	1039	0.31½	एकड़
	1575	0.11	,,
	1598	0.17	,,
	1725	0.14	,,
	1797	0.25	,,
	कुल	1.71½	एकड
245	1529	0.05	,,
	1532	0.33	,,
	कुल	0.38	,,
211	1525	0.18	,,
	1526	0.05	,,
	1536	0.03½	,,
	1525 2026	0.10	,,
	कुल	0.36½	एकड़

अपीलीय न्यायालय द्वारा अन्य खाता खेसरा पर भी आदेश पारित किया गया है परन्तु पुनरीक्षण आवेदन में उपरोक्त खाता खेसरा की जमीन पर ही पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दावा किया गया है।

पुनरीक्षण आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन शेख अमीरुद्दीन ने निबंधित वसीका संख्या 2192 दिनांक 24.2.1986 द्वारा मो0 हलीमन पति स्व0 शेख इस्माइल से खरीदा था। शेख अमीरुद्दीन के नाम से दाखिल खारिज वाद संख्या 39 आर 27/94–95 में दिनांक 17.7.1994 को नामांतरण स्वीकृत हुआ एवं लगान रसीद निर्गत होने लगा। प्रतिवादी के पिता मो0 कासिम ने उसी विक्रेता से 6.3.1990 में विवादित जमीन खरीदा जिसे पुनरीक्षणकर्ता 1986 में ही खरीद चुके थे। परन्तु बाद में विक्रेता ने 6.3.1990 के बिक्री पट्टे को रद्द कर दिया। प्रतिवादी के पिता ने अंचल कार्यालय में नामांतरण हेतु नामांतरण वाद संख्या 127 आर 27/98–99 एवं 128 आर II/98–99 दाखिल किया जो दिनांक 22.6.1999 को खारिज हो गया। इसके पष्चात प्रतिवादी के पिता ने उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची के न्यायालय में दो नामांतरण अपील 10 आर 15/99–2000 एवं 11 आर 15/99–2000

दायर किया जिसमें पुनरीक्षणकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया बल्कि राज्य सरकार को विपक्षी बनाकर अपीलीय न्यायालय को गुमराह किया गया। विवादित जमीन राज्य सरकार की नहीं बल्कि शेख अमीरुद्दीन की है परन्तु न तो निम्न न्यायालय में ओर न ही अपीलीय न्यायालय में उन्हें पक्षकार बनाया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि पुनरीक्षणकर्ता शेख अमीरुद्दीन की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी एवं पुत्र का नाम पुनरीक्षणकर्ता के रुप में प्रतिस्थापित किया गया है। अमीरुद्दीन ने विवादित जमीन 1986 में निबंधित पट्टा से खरीदा तथा दखलकार हुए। दिनांक 9.7.1994 को उनके नाम नामांतरण हुआ एवं बर्ष 2005–06 तक लगान रसीद निर्गत हुआ है। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिवादी ने 1999–2000 में अपील दायर किया जिसमें पुनरीक्षणकर्ता को पक्षकार नही बनाया गया परन्तु अपील स्वीकृत कर लिया गया। प्रतिवादी ने पुनरीक्षणकर्ता के 1986 में क्रय किये गये जमीन को उसी विक्रेता से पुनः 1990 में खरीदा हालॉकि बिक्रेता ने 1990 में ही कैन्सिलनामा पट्टा से इसे रद्द कर दिया।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जवाब एवं बहस में बताया कि विवादित जमीन का पंजी II इमाम अली के नाम दर्ज था। प्रतिवादी ने इमाम अली की पत्नी से 1990 में जमीन खरीदा है। पट्टा को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है। उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर रॉची द्वारा प्रतिवादी के दखल की पुष्टि की गयी है। बर्ष 2000 में आवेदन देने का कोई कारण नहीं है।

सभी कागजातों और बहस के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि रिविजनकर्ता ने वाद संख्या 39 आर 27/94–95 के द्वारा नामांतरण कराया था। यह नामांतरण शेख अमीनुंद्दीन के नाम 1.58½ एकड़ के लिए स्वीकृत हुआ। इसके बाद मों0 कासिम ने उन्हीं खेसरों के लिए नामांतरण आवेदन दिया जिसकी संख्या 127 आर 27/1998 थी और उसे अंचल अधिकारी, चान्हों ने 22.6.99 को खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध 17.1.2000 को मों0 कासिम ने अपील दायर किया जबकि बिहार टिनेन्ट होल्डिंग एक्ट, 1973 की धारा 15 के अंतर्गत इसके लिए निर्धारित सीमा 30 दिन है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख देखने से स्पष्ट है कि वर्तमान रिविजनकर्ता को या उनके पिता शेख अमीनुद्दीन को अपीलीय न्यायालय ने नोटिस नहीं किया और एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों के नाम नामांतरण करने का आदेश दिया जो गलत है।

अतएव अपीलीय न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए इसे पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान रिविजनकर्ता को नोटिस करके दखल कब्जा के आधार पर सभी कागजातों को देखते हुए नया आदेश पारित किया जाय। रिविजन स्वीकृत।

दिनांक :– 15.09.2008

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।